जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के निर्देश

जयपुर, 8 अगस्त। ऊर्जा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियां को कहा कि समन्वित व गंभीर प्रयासों से बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति करने के साथ ही अच्छी सेवाएं प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें तथा उपभोक्ताओं की बिजली से सम्बन्धित समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करते हुए छीजत को कम करने के प्रयास करें।

श्री गंगवार बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से विद्युत वितरण निगमों के सभी वृतों के अधिकारियों से विद्युत निगमों की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे। उन्होने विद्युत आपूर्ति, विद्युत छीजत एवं राजस्व वसूली की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि सभी अधिकारी टीम भावना से निगम की विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करें ताकि आम विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जा सके।

उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग के कार्य को दुरस्त कर सही बिल उपभोक्ताओं को समय पर मिले ताकि राजस्व वसूली ठीक ढंग से हो सके। श्री गंगवार ने कहा कि अभियान चलाकर खराब मीटरों को सितम्बर तक बदलने का प्रयास करें, जिससे छीजत के स्तर में कमी लाकर उपभोक्ताओं को भी सही रीडिंग के बिल मिल सके।

ऊर्जा सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशो के अनुसार रबी की फसल से पूर्व कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्यों को पूरा करें एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लम्बित कनेक्शनों को शीघ्रता से जारी करें।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री कुंजीलाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति की जावे। उन्होंने कहा कि स्टोर प्रबन्धन में आवश्यक सुधार कर यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता से ही सामान जारी हो एवं इसकी जानकारी उपखण्ड के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित हो तथा खराब मीटर बदलने के लिए समयबद्ध अभियान चलाया जावे।

वीडियों कान्फ्रेंस में सतर्कता जांच के कार्य में गति लाने, त्वरित विद्युत सुधार एवं विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विभिन्न वृतों के अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 335/2012